न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : राजेश कुमार नायक, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 42 / 2020
निर्णय दिनांक : 23/12/2021

1. बाबूलाल पुत्र रामकरण जाति कुमावत निवासी ग्राम दहमीकलां तह0 सांगानेर जिला जयपुर।

बनाम

1. मदनसिंह पुत्र गोपालसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम बडी का खेडा, पटवार हल्का दहमीकलां तह0 सांगानेर जिला जयपुर।
2. श्योपाल पुत्र नरसीराम जाति जाट निवासी ग्राम महापुरा तह0 सांगानेर जिला जयपुर।
3. लल्लूराम पुत्र नरसीराम ग्राम महापुरा तह0 सांगानेर जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रार्थन पत्र बाबत् पत्थरगढ़ी के आधार पर पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की आराजी कृषि भूमि हाल खाता संख्या 176 के खसरा नं0 197 रकबा 0.15 है0 में हिस्सा 23 / 100 व हाल खाता संख्या 177 के खसरा नं0 198 रकबा 0.20 है0 मे हिस्सा 1833 / 2000 व हाल खता संख्या 99 के खसरा नं0 199 रकबा 0.16 है0 खसरा नं0 200 रकबा 0.10 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.26 है0 सम्पूर्ण वाके ग्राम बडी का खेडा पटवार हल्का दहमीकला भू.अभि.नि.क्षेत्र ठीकरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है। उक्त आराजीयात का सीमाज्ञान दिनांक 23 / 07 / 2015 को आदेश श्रीमान उप तहसीलदार साहब बगरू कलां क्रमांक / एल.आर. / 14 / 1065 दिनांक 02 / 12 / 14 की पालना में ग्राम बडी का खेड़ा के खसरा नं0 197 रकबा 0.15 है0, खसरा नं0 198 रकबा 0.20 है0 खसरा नं0 199 रकबा 0.16 है0 खसरा नं0 200 रकबा 0.10 है0 के मौके पर मय रिकार्ड पहुंचा। मौके पर प्रार्थी बाबूलाल पुत्र श्री रामकरण कुमावत मौजूद मिले। मुताबिक नक्शा लठठा खसरानं0 129 गै.मु. चाह एवं खसरा नं0 164 गै.मु. चाह एवं ग्राम दहमीकलां के खसरा नं0 802 गै.मु. चाह से जरीबा चलाकर सही सीमाज्ञान कराया गया बाद सीमांज्ञान उपस्थित मोतबिरान के फर्द मौका पर हस्ताक्षर करवाये गये। प्रार्थी की भूमि के पड़ौसी काश्तकार अप्रार्थी संख्या एक व दो झगड़ालू किस्म के व्यक्ति है तथा आये दिन सीमा पर हमेशा विवाद करते है। इस कारण प्रार्थी की भूमि का सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी अपनी उक्त आराजीयात पर सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी करवाना चाहता है जिससे वो अपनी आराजीयात के चारो तरफ तार बाउण्ड्री कर अपनी आराजीयात को सुरक्षित कर सके तथा भविष्य मे सीमाज्ञान के लिये पडोसी काश्तकार [illegible] प्रकार का विवाद नही हो इसलिए सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी किया जाना [illegible] आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र [illegible] प्रार्थी की कृषि भूमि हाल खाता संख्या 176 के खसरा नं0 197 रकबा 0.15 है0, हाल खाता संख्या 177 [illegible] खसरा नम्बर 198 रकबा 0.20 है0, व हाल खाता संख्या [illegible] के खसरा नं0 199 रकबा 0.16 है0, खसरा नं0 200 रकबा 0.10 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.26 है0 सम्पूर्ण वाके ग्राम बडी का खेडा पटवार हल्का दहमीकला भू.अभि.नि.क्षेत्र ठीकरिया तहसील

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:31:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

सांगानेर जिला जयपुर का सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश जरिये पुलिस हिमदयाद के अप्रार्थी संख्या चार को फरमाने की कृपा करे ।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर दिनांक 18.03.2020 को अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को जारी रजिस्टर्ड नोटिस की डाक ट्रेक रिपोर्ट पत्रावली में शामिल मिसल है। दिनांक 23.12.2021 को पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नही होने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस हेतु निवेदन किया। हमने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता की सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया जाने पर प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र बाबत् सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर टीम गठित कर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि वाके ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 176 के खसरा नं0 197 रकबा 0.15 है0, हाल खाता संख्या 177 के खसरा नम्बर 198 रकबा 0.20 है0, व हाल खाता संख्या 99 के खसरा नं0 199 रकबा 0.16 है0, खसरा नं0 200 रकबा 0.10 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.26 है0 का तहसील सांगानेर के सीमाज्ञान फर्द मौका रिपोर्ट आदेश क्रमांकः– एल.आर. / 14 / 1065 दिनांक 02.12.2014 एवं आदेश दिनांक 23.07.2015 के अनुसार पुख्ता सीमाचिन्ह कायम करें।

निर्णय आज दिनांक .... खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:51:35 IST
Reason: SelfAttested

(राजेश कुमार नायक)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर